P-2

संख्या–2505 / सैंतीस–2–2022–1(45) / 12टीसी

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 29 दिसम्बर, 2022

विषयः उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कुक्कुट उत्पाद में मांग के सापेक्ष उपलब्धता में अन्तर (गैप) को पूर्ण कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यातोन्मुखी बनाने की दृष्टि से शासनादेश संख्या–2254 / सैंतीस–2–2022–1(45) / 12टीसी दिनांक 07.11.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2022 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के अंतर्गत निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गई हैं:–

1. योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई

इकाई लागत	99.53 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	69.67 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	29.85 लाख
रोजगार सृजन	20 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रू0 22.40 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 14.61 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

2. योजना का नामः 30000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई

इकाई पर कुल व्यय	256.69 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	179.69 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	77.00 लाख
रोजगार सृजन	60 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रू0 74.13 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 37.71 लाख
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

306/ST/[illegible]/30/12/22
अ0नि0 (कु0)
29-12-2022
Sh. Riyaz
2/1/23

3. योजना का नामः 60000 पक्षी क्षमता कामर्शियल लेयर इकाई

इकाई लागत	491.90 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	344.33 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	147.57 लाख
रोजगार सृजन	120 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रू0 159.06 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा	रू0 72.30 लाख

निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

4. योजना का नामः 10000 पक्षी क्षमता ब्रायलर पैरेन्ट इकाई

इकाई लागत	रू0 289.07 लाख
(i) बैंक ऋण 70%	रू0 202.34 लाख
(ii) मार्जिन मनी 30%	रू0 86.72 लाख
रोजगार सृजन	1500 व्यक्ति (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष)
उद्यमी को एक वर्ष की शुद्ध आय (अनुमानित)	रू0 97.93 लाख औसत (ब्याज प्रतिपूर्ति सहित)
बैंक ऋण पर 5 वर्षो तक 7% अथवा बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर (इनमें से जो भी कम हो) पर ब्याज की प्रतिपूर्ति	रू0 रू0 42.47 लाख अधिकतम
प्रति लाभार्थी अनुमन्य इकाई संख्या	प्रति लाभार्थी मात्र एक इकाई

2– उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति, 2022 के अंतर्गत योजना के संचालन, पात्रता, भूमि आदि की आवश्यकता एवं अन्य प्रकियाओं का विवरण निम्नवत हैः–

(1) योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को मात्र एक योजना हेतु ही सम्मिलित किया जायेगा।

(2) उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(3) उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2022 के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त कियाकलापो को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेगें । इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिन्ग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के कियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा।

(4) योजना के लाभार्थी का प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है। योजना में प्रथम बार आवेदन करने वाले लाभार्थी को प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु ऐसे लाभार्थी जो उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013 के अन्तर्गत मार्च 2013 से मार्च 2022 के मध्य लाभान्वित हुए है, वह इस योजना के पात्र इस शर्त के अधीन होगें यदि उनके द्वारा योजना अवधि में कुल 30,000 पक्षी क्षमता की लेयर इकाई/इकाईयॉ अथवा 10,000 हजार क्षमता की ब्रायलर इकाई से अधिक का योजनान्तर्गत लाभ नही लिया गया है। वर्तमान नीति के अन्तर्गत लाभार्थी/कृषक/उद्यमी को एक इकाई ही अधिकतम अनुमन्य होगी और अधिकतम एक परियोजना में ही लाभान्वित किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत 10 हजार कामर्शियल लेयर के लिए 01 एकड़, 30 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 2.5 एकड़, 60 हजार कामर्शियल लेयर इकाई के लिए 4 एकड़ एवं 10 हजार ब्रालयर पैरेन्ट के लिए 4 एकड़ भूमि लाभार्थी के स्वामित्व में अथवा कम से कम 10 वर्ष की लीज पर होना अनिवार्य है।

(6). पक्षियों को पालने हेतु California Cage पद्धति अथवा किसी अन्य पक्षी अनुकूल पद्धति (Bird Friendly Technology) का प्रयोग किया जायेगा, जिसके लिए मानकों का पालन अनिवार्य है।

(7) कार्य प्रारम्भ करने की औचारिकतायें

7.1 सर्वप्रथम उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा (संलग्नक–प्रारूप–1 एवं 2) प्रार्थना पत्र विभागीय वेबसाइट–http://animalhusb.up.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात उद्यमी द्वारा समस्त प्रपत्रों को डेडीकेटेड पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। अपलोड किये जाने वाले प्रार्थना पत्र/प्रपत्रों के साथ प्रस्तावित भूमि की मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण निर्धारित संलग्न प्रारूप पर प्रेषित की जायेगी। अपलोड किये गये प्रार्थना–पत्रों का मूल्यांकन एवं परीक्षण जनपद स्तर पर गठित प्रीअप्रेजल समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं सदस्य सचिव, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी होगें।

7.2 पशुपालन निदेशालय स्तर पर उक्त समिति द्वारा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा बैंक की शाखाओं द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों का गहन परीक्षण किया जायेगा जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उक्त समिति के अध्यक्ष योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड–1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा तकनीकी एवं वित्त विशेषज्ञ भी इसके सदस्य होंगे।

7.3 पशुपालन निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं परीक्षण अप्रेजेल समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों के परीक्षण के पश्चात परियोजना अनुमोदन समिति (जिसका गठन शासन द्वारा किया जायेगा) द्वारा प्रार्थना पत्रों पर परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त समिति के अध्यक्ष निदेशक, (प्रशासन एवं विकास) होंगे तथा सदस्य सचिव योजना के प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड–1/संयुक्त निदेशक, कुक्कुट होंगे तथा समिति में तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञ भी होंगे। परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा प्रार्थना पत्रों के अनुमोदन के पश्चात निदेशालय स्तर से लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा। अनुमोदन पश्चात उद्यमी के प्रार्थना–पत्र एवं जारी किये गये लेटर ऑफ कम्फर्ट को बैंक ऋण की स्वीकृति हेतु सम्बन्धित बैंक को ऑनलाइन प्रेषित किया जायेगा।

7.4 बैंक ऋण प्राप्त करने का समस्त दायित्व उद्यमी का होगा तथा इसके लिए उद्यमी द्वारा समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।

7.5 ऋण स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त के अवमुक्त होने की सूचना संलग्न प्रारूप–3 पर बैंक द्वारा सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

7.6 जनपदीय समिति द्वारा फार्म की स्थापना की प्रगति के कम से कम दो निरीक्षण किये जायेगें।

7.7 उद्यमी द्वारा लिए गये बैंक ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति की मांग हेतु प्रत्येक त्रैमास में बैंक स्टेटमेन्ट की मूल प्रति मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए बजट की मांग मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास को प्रेषित की जायेगी। बैंक के स्टेटमेन्ट के परीक्षण के पश्चात धनराशि का भुगतान उद्यमी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

7.8 उद्यमी यदि बैंक को ऋण का समय से भुगतान नहीं करता है तो ऐसी दशा में बैंक को अतिरिक्त ब्याज देने की जिम्मेदारी भी लाभार्थी की होगी। साथ ही यदि लाभार्थी बैंक का कर्ज लौटाने में डिफाल्टर होता है तो ऐसी दशा में उद्यमी को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा तथा डिफाल्टर होने के पश्चात बैंक को ब्याज की भरपाई करने का दायित्व शासन का नहीं होगा तथा उस समय तक दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि उद्यमी को वापस करनी होगी।

8 अन्य रियायतें एवं छूट

8.1 योजना अन्तर्गत स्थापित कुक्कट इकाइयों के विद्युत बिल में 10 वर्षो तक इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी पर शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।

8.2 नीति के अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाई हेतु क्रय की गयी भूमि अथवा लीज पर ली गयी भूमि पर स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी। इस हेतु बैंक गारन्टी एवं मुख्य पशुचिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा। स्टाम्प ड्यूटी में उक्त छूट प्राप्त करने हेतु उद्यमी द्वारा इस आशय का लिखित शपथ–पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कुक्कुट विकास नीति–2022 में उल्लिखित योजनाओं में ही किया जायेगा तथा एक वर्ष के अन्दर योजना को प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गयी स्टैम्प ड्यूटी की छूट की धनराशि ब्याज सहित उद्यमी को वापस करनी होगी।

9 डेडीकेटेड पोर्टल एवं अनुश्रवण हेतु डाटाबेस मैनजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर

9.1 कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत किये जाने वाले समस्त कियाकलापो को पशुपालन विभाग के एक डेडीकेटड पोर्टल द्वारा संचालित किया जायेगा। कुक्कुट विकास नीति के लाभार्थियों द्वारा समस्त आवेदन इस पोर्टल पर किये जायेगें।

इस प्रकार यह पोर्टल विभाग हेतु मॉनीटरिन्ग टूल होगा जिसके माध्यम से नीति के कियान्वयन का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। उक्त समस्त कार्य के लिए निदेशक, पशुपालन/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

9.2 इस नीति के क्रियान्वयन हेतु टेक्निकल सपोर्ट एवं डेटा एनालिटिक्स आधारित क्रियाकलाप हेतु डेटाबेस मैनेजमेन्ट एण्ड प्रोजेक्ट फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना कार्यालय निदेशक/विभागाध्यक्ष पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में की जायेगी। यह केन्द्र विषय–विशेषज्ञों, (डोमेन एक्सपर्ट) के सहयोग से संचालित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक जनपद में कम से कम एक पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर (योग्यता–बी0वी0एस0सी0 एण्ड ए0एच0/बी0एस0सी0 ए0जी0 एण्ड ए0एच0) जिनकी व्यवस्था आउटसोर्सिगं के माध्यम से की जायेगी।

10 चयनित लाभार्थियों को कुक्कुट इकाई की स्थापना के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कराने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास प्रबंधन एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों में भी कुक्कुट पालन की नवीन तकनीक की जानकारी हेतु भ्रमण कराया जायेगा।

3– इस संबध में मुझ यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–प्रारूप–1, 2, 3
एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रारूप।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2505(1)/सैंतीस–2–2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
(13) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
(14) निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
(15) पशुधन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(16) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।